राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2007 से 3/2012

1 प्रारम्भिक एवं वर्तमान अंकेक्षणः–

यह संस्थान सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख(16)–10/95–पार्ट–3–लूज, दिनांक 18 दिसम्बर 2006 के द्वारा प्रारम्भक किया गया तथा सत्र 2007–08 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इस संस्थान का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण (अवधि 4/2007 से 3/2012 तक) श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 1.2.2013 से 19.2.2013 तक बड़सर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। छात्र निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

सत्र	आय	व्यय
2007–08	6/2007	2/2008
2008–09	10/2008	8/2008
2009–10	6/2009	10/2009
2010–11	6/2010	12/2010
2011–12	6/2011	9/2011

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई के कारण पाई गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 4/2007 से 3/2012 तक छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹32000/– (बत्तीस हजार ₹) किया गया जिसे संस्था एस0बी0पी0 के बैंक ड्राफ्ट संख्या 284219 दिनांक 19.3.2013 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दिया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) संस्था के छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति अवधि 4/2007 से 3/2012 तक परिशिष्ट "क" के पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक पर दी गई है।

(ख) मिश्रित निधि सहित अन्य छात्र निधियों जिनका लेखा इकटठा ही रखा गया है कि रोकड़ वही में दिनांक 31.03.2012 को अन्त शेष ₹271551.00 दर्शाया गया है जबकि बैंक लेखा में ₹292891.00 की राशि जमा पाई गई जिसके आधार पर ₹21340.00 का अन्तर पाया गया। यद्यपि परिशिष्ट "क" पृष्ठ 6 पर अन्तर को संस्थाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया है परन्तु यह अपने आप में ही विरोधाभाषी है। अनुचित प्रकार से मिलान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पाए गये ₹2134.00 के अन्तर को नियमानुसार उचित प्रकार से मिलान करके लेखा में आवश्यक सुधार तदानुसार किया जाए।

(ग) एक्टीविटी फण्ड (नाम उचित नहीं दर्शा गया) ज्योग्राफी फण्ड स्काऊट एंड गाईड फण्ड व कम्पयूटर, मैथ व कामर्स फण्ड में भी ₹20.00, ₹540.00, ₹5.00 व ₹270.00 का अन्तर पाया गया जिसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक मिलान नियमानुसार करके लेखों में सुधार किया जाए।

(घ) वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा कुछेक छात्र निधियों से बिल्कुल भी व्यय नहीं किया गया तथा कुछ से नाम मात्र व्यय ही किया गया जो संस्था प्रबन्धन की छात्रहितों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। भविष्य में अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि छात्र निधियों से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय XLII के नियम 42. 2 में किये गये प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाए ताकि छात्रों को उनके द्वारा जमा करवायी गई राशियों का सदुपयोग करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करवायी जा सके।

(ङ) संस्था द्वारा छात्र निधियां में संचित राशियों को आवश्यकता से अधिक बचत खातों में रखा गया है। यदि इन राशियों में से समुचित भाग सावधि योजना में किसी निश्चित अवधि के लिए निवेशित किया जाता तो बचत खाते पर प्राप्त ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा योजना पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था। भविष्य में अनुपालनार्थ सुझाव दिया जाता है कि उचित वित्तीय प्रबन्धन को सुनिश्चित करते हुए संस्था की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही राशियां बचत खातों में रखी जाए तथा अतिरिक्त राशियों को किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके।

(च) विभिन्न छात्र निधियों को एक ही लेखा में सम्मिलित करके लेखाकरण अनुचित प्रकार से किया गया जबकि प्रत्येक छात्र निधि का लेख पृथक से किया जाना आपेक्षित था जिससे प्रत्येक छात्र निधि की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो पाती। संचायिका लेखा को भी अन्य छात्र निधियों में ही समिश्रित कर दिया गया जबकि यह लधु बचत निदेशालय से सम्बन्धित होने को ध्यान में रखते हुए इसका पृथक लेखा तैयार किया जाना व बैंक खाता भी अलग से खोला जाना आपेक्षित था। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व छात्र निधियों का लेखाकरण पृथक–2 कालम लगाकर रोकड़ वही में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

4 <u>समिश्रित निधिः–</u>

(क) माह 12/2010 मे वाऊचर संख्या 124 दिनांक 13.12.2010 के द्वारा ₹2400/–का ऋण एन0एस0एस0 निधि को दिया गया। जिसे अंकेक्षण समाप्ति की दिनांक तक वापिस नहीं लिया गया। अतः इतनी लम्बी अवधि तक दिये गये ऋण की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उपरोक्त राशि की वसूली करके राशि समिश्रित निधि में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

(ख) वाऊचर संख्या 132 माह 12/2010 के द्वारा ₹7760/–का भुगतान मै0 राणा ऑफसैट प्रिन्टर्ज मैन बाजार मैहरे जिला हमीरपुर को उन के बिल संख्या 186 के माध्यम से महाविद्यालय पत्रिकाओं के मुद्रण के सन्दर्भ में किया गया। प्राप्त निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि मै0 दुर्गा आर्ट प्रिटिंग प्रैस मैहरे, जिला हमीरपुर की दर ₹15/–प्रति पत्रिका थी जो अन्य निविदाकारों से न्यूनतम थी। अगर इस सन्दर्भ में बनाई गई तुलनात्मक विवरणी में उपरोक्त न्यूनतम दर को काट कर ₹25/–किया गया तथा 400 पत्रिकाओं के मूद्रण का कार्य मै0 राणा आफसैट प्रिन्टरज मैहरे जिला हमीरपुर से ₹19.40 प्रति पत्रिका की दर से करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त फर्म को 400x(19.40-15.00)=₹1760 का अधिक भुगतान किया गया। अतः मूल अभिलेख से छेड़छाड़ करके न्यूनतम दर वाली फर्म से कार्य का निष्पादन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाए।

(ग) वाउचर संख्या 132 मास 12/2010 के द्वारा ₹123/–का भुगतान मै0 राणा आफसैट प्रिन्टरज मैहरे को 10 पी0टी0ए0 निधि रसीद बुकें ₹12.30 प्रति रसीद बुक की दर से छपवाने के सन्दर्भ में किया गया जो इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि समिश्रित निधि में जमा करवायी जाए तथा की गई कार्यवाही से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(घ) माह 8/2008 में ₹3500/–का अग्रिम श्री राजेश (प्रवक्ता) को सी0एस0सी0ए0–2008–09 के चुनाव करवाने के लए दिया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध ₹2831/–के समायोजन वाऊचर सलग्न थे तथा शेष राशि ₹669/–को श्री मनोज डोगरा को अल्पहार एवं खेल सामग्री खरीदने के लिए दिया गया दर्शाया गया जिससे सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त के अभाव में ₹669/–के भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः भुगतान के विरूद्ध समायोजन लेखा प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर समिश्रित निधि में जा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेखण पर अवगत करवाएं।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित न होने पर भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 2.21 मं यह स्पष्ट प्रावधान है कि भुगतान से पूर्व प्रत्येक बिल/वाउचर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित किया जाना आपेक्षित है। अतः निमयों की अवहेलना करके भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वांन्छित कार्यवाही कर के अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

क्र0सं0	**फर्म का नाम/दिनांक**	**खरीदी गई सामग्री का विवरण**	**राशि ₹ में**
1	मै0 राणा ऑफसैट प्रिटरज मैहरे 26.10.10	पहचान पत्रों का मुद्रण कार्य	2145
2	–यथोपरि–	विवरण पुस्तिकाओं का मुद्रण	5695

		कार्य	
3	–यथोपरि–	प्रवेश प्रपत्रों का मुद्रण कार्य	723
4	मै0 आकाश पुस्तक भण्डार मैहरे 4.12.10	लेखन सामग्री	960
5	मै0 राठोर इंटरप्राईजिज बड़सर 12.10.10	लेखन सामग्री	355
6	मै0 बाबा नानक दी हटअी बड़सर 13.11.2010	मिठाई पैकेट	1800

5 छात्रों से एकत्रित राशि को जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹3209.00 की राशि की छात्र निधियों विद्यार्थियों से एकत्रित की गई परन्तु इन्हें लेखों मे ंजमा नहीं किया गया। ₹3209.00 की राशि कम जमा किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इससे सम्बन्धित अंकेक्षण के समय आपत्ति उठाने पर संस्था द्वारा इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके दिनांक 19.2. 2013 को सम्बन्धित छात्र निधियों में जमा करवा दिया गया तथा अंकेक्षण द्वारा इसकी सत्यापना स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

निधि	**अवधि**	**एकत्रित राशि ₹ में**	**जमा की गई राशि ₹ में**	**अन्तर ₹ में**
समिश्रित निधि	10/2011	83740	82890	850
समिश्रित निधि	12/2011 से 3/2012	24620	22801	1819
भूगोल निधि	5.7.2011	180	–	180
भूगोल निधि	17.9.11	180	–	180
भूगोल निधि	30.11.11	180	–	180
				3209

6 निधियों की अधिक दर से वसूलीः–

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹18131.00 की राशि अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों से छात्र निधियों की अधिक दर से वसूली की गई जिसका औचित्य हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के पंत्राक ई0डी0एन0(8) 3(7)–1/96 दिनांक 21.6.1999 तथा ई0डी0एन0 (8) 3 (7)–1/76–6 दिनांक 19.6.2000 और इससे सम्बन्धित समय–समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए व अनाधिकृत रूप से निधियों की अधिक दर से वसूली हेतु उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निधि	**वर्ष**	**नियमानुसार वार्षिक दर ₹ में**	**वसूली गई वार्षिक दर ₹ में**	**अन्तर**	**विद्याथी की सं0**	अधिक वसूली गई राशि ₹ में
Student Aid Fund	2007–08	2	3	1	150	150
Furniture Repair/Replacement	2007–08	10	20	10	150	1500
Society Club	2008–09	–	5	5	150	750
Student Aid Fund	2008–09	2	3	1	344	344
Furniture Repair/Replacement	2008–09	10	20	10	344	3440
Society Club	2007–08	–	5	5	344	1720
Student Aid Fund	2009–10	2	3	1	447	447
Furniture Repair/Replacement	2009–10	10	20	10	447	4470
Society Club	2009–10	–	5	5	447	2235
Society Club	2010–11	–	5	5	615	3075
						18131

7 छात्र निधियों से खरीदे गये स्टोर/स्टॉक के लेखांकन बारेः–

संस्था द्वारा छात्र निधियों से खरीद गये सामान के लेखांकन हेतु तैयार किये गये अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि खरीदी गयी सभी मदों चाहे वह Consumable थी, Non-consumable थी या Permanent प्राकृति की थी, को एक ही रजिस्टर में उनका अलग–2 प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण न करके बिलों में खरीदी गई समक्ष मदों की प्रविष्टियॉ एक स्थान पर की गई है जिसके चलते यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस मद की मौजूदा स्थिति में कितनी मात्रा शेष थी तथा कितनी प्रयोग में लाई गई। अतः खरीद गई वस्तुओं का वर्गीकरण करके उनका रख–रखाव उनकी प्राकृति Consumable, Non- Consumable या Permanent के आधार पर किया जाए तथा प्रत्येक प्राकृति वाली वस्तुओं के रख–रखाव के लिए अलग–2 रजिस्टर लगाए जाए व प्रत्येक वस्तु के लेखांकन हेतु अलग–2 पृष्ठों का प्रयोग किया जाए।

8 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टरः–

अंकेक्षण में पाया गया कि विद्यार्थियों से शुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु छपवाई व प्रयोग की गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिस के बिना यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संस्था द्वारा आज तक कितनी रसीद बुकें छपवाई गई थी तथा उनमें से कितनी रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई व कितनी रसीद बुकें अब शेष बची है। अतः रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर को नियमानुसार न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार बनाया जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाए।

9 भण्डार का सत्यापनः–

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि संस्था ने अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार मे ंपड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जबकि यह प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना आपेक्षित होता है। अतः अब नियमानुसार आपेक्षित कार्रवाही करके, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाए तथा भविष्य में प्रक्रिया हर वर्ष अपनाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 **<u>लधु आपत्ति विवरणिकाः–</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

11 **<u>निष्कर्षः–</u>** छात्र निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्यन्त सुधार एवं कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)xi(vi)–111/13–खण्ड–1दिनांक,शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बड़सर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्प्ण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 प्रधान सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

3 निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001.

4 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.